UPGK010014402026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–714/2026

दीपक गौड़ पुत्र जगदीश गौड़, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी–पाण्डेय टोला, जंगल रामगढ़ उर्फ चवंरी, थाना–खोराबार, जनपद–गोरखपुर, उ०प्र० ।

.............**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–379/2025
धारा–191(2),115(2),352,351(3),117(2),126(2) BNS
व धारा 3(2)(va) & 3(1) द, ध SC/ST Act.
थाना–खोराबार, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 19-03-2026

आवेदक/अभियुक्त **दीपक गौड़** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र स्वयं द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, परन्तु वह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नहीं है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अमीत कुमार पासवान पुत्र विध्याचल पासवान निवासी रामगढ उर्फ चवरी थाना–खोराबार जिला गोरखपुर का रहने वाला है जो कि प्रार्थी जाति का पासवान है। जो की उत्तर पदेश में अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है। घटना दिनाँक 16/05/2025 को समय सायं 4.30 बजे की है। पुरानी रंजिश को लेकर प्रार्थी के गाँव के दीपक गौड़, राजन गौड़, मोहन गौड़ पुत्रगण स्व० जगदीश गौड़ निवासी रामगढ़ उर्फ चवरी थाना खोराबार जिला गोरखपुर, राजन पुत्र इन्द्रजीत, भगवानी पत्नी इन्द्रजीत एक राय होकर फुर्सतपुर चौराहे पर जब प्रार्थी सब्जी खरीदने जा रहा था घेर लिए और भद्दी–भद्दी गाली देकर बोले की साले पासी की जाति मधरचोद इसका मन बहुत बढ़ गया है आज इसको सबक सिखा देना है। यह कहते हुए उपरोक्त लोग लात घुसों से प्रार्थी को बुरी तरह से मारने पिटने लगे दीपक गौड़ ने प्रार्थी का गला दबाते हुए प्रार्थी को उठाकर पटक दिया जिससे प्रार्थी का हाथ फैक्चर हो गया और शरीर के विभिन्न हिस्सों में गम्भीर चोटे

आई। सोर सुनकर आस–पास के लोग इकट्ठा हो गये। घटना को देखे बीच बचाव किये तब उपरोक्त लोग जान माल की धमकी देते हुए भाग गये घटना वीडियों प्रार्थी के पास मौजूद है। दवा इलाज से कुछ ठीक होने पर प्रार्थी घटना का सूचना दे रहा है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त मामले में पूर्णतया निर्दोष हैं। प्रार्थी का मामले उपरोक्त से कोई वास्ता सरोकार नहीं हैं। प्रार्थी ने तथाकथित कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को उपरोक्त मामले में हैरान व परेशान करने की नियत से साजिशन व रंजिशन फंसा दिया गया हैं। प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कथित घटना दिनांक से 12 दिन बाद खूब सोच समझकर एवं विधिक राय लेकर लिखवाया गया है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। प्रश्नगत प्रथम सूचना रिपोर्ट के पूर्ण अवलोकन व परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के प्रश्नगत मामले में ऐसी कोई भी भूमिका दर्शित नहीं की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण की वास्तविकता यह है कि प्रार्थी ने कदापि रुप से अनुसूचित जाति की गाली देते हुए न तो प्रार्थी को लात–मुक्कों से मारकर पटक दिया था और न ही कथित घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से शामिल ही रहा है, जिससे प्रार्थी के विरुद्ध धारा 191(2),115(2),352,351(3),117(2), 126(2) BNS & 3(2)(va) & 3(1) द, ध SC/ST Act का कोई भी अपराध गठित नहीं होता है। प्रश्नगत मामले की वास्तविकता यह भी है कि मामले का चोटहिल मोटर साइकिल से जा रहा था तथा उसी मोटर साइकिल से गिरकर चोटिल हो गया था तथा घटना से काफी दिन बाद खूब सोच समझकर गांव के पुराने चुनावी रंजिश को लेकर प्रार्थी के विरुद्ध एक विशुद्ध, मिथ्या, मनगढंत व भ्रामक कथानक के आधार पर प्रश्नगत मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसका वास्तविकता से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित सभी धाराएं सात वर्ष तक की कारावास से दंण्डनीय है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई० में पारित निर्णय से आच्छादित है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि प्रार्थी की कोई भूमिका नहीं रही है तथा प्रार्थी को केवल हैरान उद्देश्य से प्रश्नगत मुकदमें में नामित कर दूषित विवेचना के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी इसी जिले का रहने वाला है जिसकी जमानतोपरान्त भागने की कोई सम्भावना नहीं है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों एवं भद्दी–भद्दी गाली देने से अपमानित करते हुए लात घुसों से मार पीटकर गंभीर चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने का अभियोग लगाया गया है। चिकित्सीय रिपोर्ट में

डाक्टर द्वारा चोटहिल को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की कठोर कुन्द से कारित बतायी गयी है। डॉक्टर द्वारा वादी मुकदमा की एक्स–रे रिपोर्ट में बाएँ हाथ की हथेली के दूसरे और तीसरे मेटाकार्पेल के आधार पर प्रभावित एवल्शन फ्रैक्चर होना पाया गया है। आवेदक/अभियुक्त अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य** (2021) 10 **एस.सी.सी.** 773 तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s** 528 **BNSS No.** 6400 **of** 2025 **Smt. Bacchi Devi vs. State of U.P. and other** [**Netural Citation No.** 2025: **AHC**:136034] में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **दीपक गौड़** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–714/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.03.19 17:07:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court